भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2336

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

पीएम-यशस्वी योजना

2336. डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री सौमित्र खानः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि:

(क) विशेषकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जीवंत भारत के लिए प्रधानमंत्री युवा अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार (पीएम-यशस्वी) योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं में सहायता करने में सक्षम है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वर्ग (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (डीएनटी) के छात्रों

की शिक्षा और कल्याण का समर्थन करने के उद्देश्य से पांच (05) उप-योजनाओं/घटकों वाली वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी) की व्यापक योजना को लागू कर रहा है। इन राज्यों के लिए पीएम-यशस्वी की उप-योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	उप-योजना/घटक	वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई धनराशि (रुपए लाख में)		वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई धनराशि (रुपए लाख में)	
		उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	5742.00	2708.87	2040.00	0.00*
2.	भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	21000.00	9782.85	21000.00	0.00*
3.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा	30.35	0.14	2.60	0.34
4.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा	0.00^	0.00^	2103.88	113.22
5.	ओबीसी बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण	0.00*	0.00*	0.00^^	0.00*

* राज्य से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

^ यह योजना वर्ष 2023-24 से संचालित की गई

^ ^ राज्य से प्राप्त अपूर्ण प्रस्ताव।

(ख): इस योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना है ताकि समाज के सबसे वंचित वर्गों की शिक्षा पूरी करने में सुविधा हो सके। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामलों में, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैद्धांतिक आवंटन के आधार पर निधियां प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों की अधिकतम संख्या को कवर करने के लिए केन्द्रीय हिस्से के अतिरिक्त राज्य के बजट से भी निधियां जुटाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में, केन्द्रीय सहायता में पूर्ण ट्यूशन फीस, जीवनयापन व्यय, पुस्तकों, स्टेशनरी तथा लैपटॉप/कंप्यूटरों सहित अप्रतिदेय प्रभार शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे जमा किया जाता है।
